an>

Title: Need to enact a law to punish the criminals caught on camera while indulging in crimes.

श्री डी.एस.राठौड़ (साबरकांठा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, 'डिजीटल इंडिया' के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने हिन्दुस्तान को एक सुपर स्पीड से बढ़ाने के लिए शुरूआत की है। इसलिए पूरा देश उनका आभारी है। जैसे-जैसे हम डिजीटल की दुनिया से परिचित होते हैं, वैसे-वैसे हमारे सामने नई-नई बातें आती हैं, जिसके लिए बहुत तेजी से नए कानून बनाने की जरूरत भी पड़ती है।

भारत देश में न्यायिक कोर्टों में भारी संख्या में सी.सी.टी.वी. कैमरे से संबंधित ज्युडिशियल केसेज बिना कोई फैसले के पड़े हैं, जो अपनी लम्बी न्यायिक कार्यवाही की वज़ह से वर्षों से पड़े हैं। इसमें तेजी से नए केसेज भी बढ़ रहे हैं। डिजीटल क्रांति की वज़ह से अब पूरे देश में सी.सी.टी.वी. कैमरे लग रहे हैं। प्राइवेट ज़गहों से लेकर सारे पब्लिक परिसरों पर भी बहुत तेजी से ये लगाए जा रहे हैं।

देश के कोर्ट्स में ऐसे कई सारे केसेज हैं, जिनमें आरोपी गलत काम करते हुए ऐसे कैमरे में पकड़े गए हैं, जो उनका गुनाह साबित करने के लिए काफी है। लेकिन, फिर भी कोर्टों में साक्षी का बयान लिया जाता है और संबंधित साक्षी न होने के कारण न्याय में देरी होती है या अपराधी छूट भी जाता है।

महोदया, मेरा मंत्रालय से विनती है कि ऐसे अपराधी, जिनका गुनाह कैमरे में पाया जाता है, तो उसकी बिना कोई न्यायिक प्रक्रिया किए, तुरन्त उसकी सुनवाई कर उन्हें सज़ा देनी चाहिए। ऐसा कानून बनाने की जरूरत है। इससे कोर्ट्स में भी न्यायिक केसों की संख्या कम होगी।

HON. SPEAKER: Shri Chandra Prakash Joshi, Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri D.S. Rathod.